न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 23/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00089

उनवान

गयाप्रसाद पुत्र नारायन सिंह जाति ब्राहम्ण महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

यादराम पुत्र चेतराम जाति काछी निवासी नगला भोला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 10.06.16 प्र.संख्या 14/2016 उनवानी गयाप्रसाद बनाम यादराम।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 292 वाके ग्राम महलपुर चूरा तहसील रूपवास पर वादी/अपीलाण्ट बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादी/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादी/रैस्पो0 लट्ठ के बल पर विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। यदि प्रतिवादी/रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश से उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहें हैं। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट ने अपनी भूमि पर रैस्पो0 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किया था अतः मात्र अपीलाण्ट के दावे तक ही सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय करना चाहिये था उसके अलावा रैस्पो0 की भूमि पर अपीलाण्ट को पाबन्द करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय, अपीलाण्ट के दावा में रैस्पो0 को कोई अनुतोष कानूनन नहीं दे सकता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि रैस्पो0 का कौनसा खसरा नम्बर एवं कौनसी भूमि किस तरफ अपीलाण्ट के खसरा नम्बर से लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने काल्पनिक एवं कयासो के आधार पर अवैधानिक रूप से अपीलाण्ट को पाबन्द करने के आदेश देने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की हद तक अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट का हस्तगत अपील में मुख्यताः यह आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के दावे से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं है। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0 पेश करते हुये, रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का अनुतोष चाहा है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त वाद में, मैं कोई रिकार्ड व जवाब पेश करना नहीं चाहता हूँ ना ही मेरे पास कोई साक्ष्य है। इसके अलावा ना ही रैस्पो0/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई काउन्टर क्लेम ही प्रस्तुत किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी के वाद से बाहर जाकर, अपीलाण्ट/वादी व रैस्पो0/प्रतिवादी, दोनों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में कानूनन त्रुटि की है। जबकि रैस्पो0/प्रतिवादी द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है, ना ही कोई जवाब पेश किया है एवं ना ही कोई साक्ष्य ही पेश की गयी है, जिससे यह तथ्य सिद्ध होता हो कि अपीलाण्ट/वादी, रैस्पो0/प्रतिवादी की कब्जे काश्त की आराजी में हस्तक्षेप करते हों। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/वादी के वाद में रैस्पो0/प्रतिवादी को अनुतोष प्रदान विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 10.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुये, अपीलाण्ट/वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की हद तक अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है एवं शेष आदेश यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official